न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 05/2020 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

GCMS NO : 2020/00015

अनवान

1. श्री वरदा पिता मेघा मीणा, निवासी– बेडास, तहसील–सलुम्बर, जिला उदयपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री नाथु पिता उदा मीणा, निवासी– बेडास, तहसील–सलुम्बर, जिला उदयपुर।
2. श्री लोगर पिता उदा मीणा, निवासी– बेडास, तहसील–सलुम्बर, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती केसरी पत्नी लोगर मीणा, निवासी– बेडास, तहसील–सलुम्बर, जिला उदयपुर।
4. श्री कनिया पिता नाथु मीणा, निवासी– बेडास, तहसील–सलुम्बर, जिला उदयपुर।
5. श्री तेजा पिता नाथु मीणा, निवासी– बेडास, तहसील–सलुम्बर, जिला उदयपुर।
6. श्री भैरीया पिता नाथु मीणा, निवासी– बेडास, तहसील–सलुम्बर, जिला उदयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री विशाल अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री भगवत सिंह, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 6।
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970
बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

' निर्णय '

दिनांक 30-03-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम ओरवाडीया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 2568 रकबा 0.60 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2569 रकबा 0.20 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2570 रकबा 0.03 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2575 रकबा 0.45 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2754/2571 रकबा 0.23 हेक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 1.51 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजी भूमि का साबिक आराजी नंबर 1129 होकर उसमे से करीब 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर सम्वत् 2040 से पूर्व से आज तक प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थी ने चारों तरफ बाड़/कोट बना रखी है। विपक्षी संख्या 1 से 3 एवं विपक्षी संख्या 4 से 6 की माता कंकूडी को दिनांक 18.06.2002 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना मौका जांच विधिविरूद्ध कथित भूमि का आवंटन कर दिया गया। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा संवत् 2040 के पूर्व से चला आ रहा है। आवंटन से पूर्व उ[illegible] पत्र जारी नही हुआ। नियम 5 के तहत ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार नही हुई एवं नियम 7 की पालना भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

नही की गई। प्रार्थी को कथित भूमि से बेदखल किये बिना आवंटन अधिकारी को उक्त आवंटन का अधिकार नही था। कथित भूमि पर तहसीलदार सलुम्बर द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार नियम विरूद्ध प्रदान कर दिये गये है, जबकि आवंटन उपरान्त आवंटीगण को कब्जा सुपुर्द नही किया गया है। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नही है, न ही उनके द्वारा आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना की गई है। कथित आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन से होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटीगण के पक्ष मे किये गये कथित आवंटन को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 से 6 की ओर से श्री भगवतसिंह एवं विपक्षी संख्या 7 की ओर से श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई। विपक्षी संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता ने प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया कि कथित भूमि पर प्रार्थी का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा। प्रार्थी अपने परिवार सहित ग्राम ओरवाडिया से करीब 25 किलोमीटर दूर गांव कगरा बोरजा में निवास करता है तथा वहीं का मूल निवासी है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नही है। वर्तमान मे विपक्षीगण ने इस भूमि पर फसल बो रखी है। विपक्षीगण का कथित भूमि पर कब्जा काश्त करीब 60–70 वर्षों का है, जिस पर विपक्षीगण के कुल 9 मकान बने हुये है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि पर चार सोलर प्लांट सरकार के माध्यम से लगवाये गये है, दो ट्युबवेल तथा एक कुआं है, जिस पर विद्युत कनेक्शन भी लगाया हुआ है एवं वर्तमान मे गेहूं व चने की फसल बोई हुई है। कथित आवंटन पूर्णतया नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे मनगढ़न्त तथ्य अंकित किये है। आवंटन शर्तो की पालना करने के फलस्वरूप ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन नही हुआ है। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 6 खातेदार काश्तकार है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात 14(4) की कार्यवाही मेन्टेनेबल नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से आवंटन से संबधित मूल पत्रावली संख्या 731/2002 तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थी अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुये प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौके पर प्रार्थी का कब्जा सवत् 2040 से पूर्व का होना, उद्घोषणा पत्र जारी न होना, ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड की सूची तैयार न होना, नियम 7 की पालना न होना, कोरम पूर्ण न होना, वक्त आवंटन आवंटीगण का भूमिहीन न होना, आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की अवहेलना होना, आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टेशन होना, नियम विरूद्ध खातेदारी अधिकार दिया जाना, आदि आधारो पर कथित आवंटन को निरस्त करने की मांग की।

बहस मे भाग लेते हुये विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी द्वारा मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना, आवंटन संबंधित विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये होना, प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नहीं होना, कोरम पूर्ण होना, प्रार्थी का अन्य गांव का

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

निवासी होना, कथित भूमि पर सोलर प्लांट, ट्युबवेल, कुआं खुदा होना, विद्युत कनेक्शन होना, विपक्षीगण के मकान बने होना, मौके पर विपक्षीगण का कब्जा काश्त होना, आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन न होना अवगत कराया एवं कथित आवंटन को यथावत रखे जाने हेतु अनुरोध किया। विपक्षीगण द्वारा यह भी अनुरोध किया कि वे उक्त भूमि पर रेकर्डेड खातेदार है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही नही चल सकती है एवं प्रार्थी द्वारा उक्त प्रा.पत्र मयाद पेश किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें। विपक्षी संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी एवं विपक्षीगण के विरूद्ध पुलिस थाना गीगला द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा, पटवारी हल्का की रिपोर्ट विपक्षी संख्या 1 का विद्युत बिल, वादग्रस्त आराजी पर विपक्षीगण के बने हुये मकानों के फोटो प्रस्तुत किये एवं अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

- आर.बी.जे.(26) 2019 पृष्ठ 77
- आर.बी.जे.(26) 2019 पृष्ठ 694
- आर.आर.टी. 2018(1) पृष्ठ 299
- आर.आर.टी. 2016–17 (एस.यू.पी.पी.) पृष्ठ 271

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 से 6 के जवाब, उपखण्ड़ अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टांत आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। प्रकरण राजस्व ग्राम ओरवाडीया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 2568 रकबा 0.60 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2569 रकबा 0.20 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2570 रकबा 0.03 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2575 रकबा 0.45 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2754/2571 रकबा 0.23 हेक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 1.51 हेक्टेयर भूमि के आवंटन से संबंधित हैं। उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर से प्राप्त मूल आवंटन पत्रावली संख्या 731/2002 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्व ग्राम ओरवाडीया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 2568 रकबा 0.60 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2569 रकबा 0.20 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2570 रकबा 0.03 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2575 रकबा 0.45 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2754/2571 रकबा 0.23 हेक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 1.51 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 से 3 एवं विपक्षी संख्या 4 से 6 की माता कंकूडी को किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर प्रधान, सरपंच, विकास अधिकारी, तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजुद हो अध्यक्ष के रूप मे उपखण्ड़ अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजुद हैं। आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजीयात पर उनका पुराना कब्जा होना जाना अवगत कराया है एवं धारा 91 के नोटिस मय मिलान [illegible] जिसमे आवंटित आराजी को साबिक आराजी संख्या 1129 का ही भाग [illegible] है। मिलान खसरे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि साबिक आराजी [illegible] आराजी है एवं इसके हाल नंबर से कई नवीन आराजी बने है धारा 91 के नोटिस के अनु[illegible] प्रार्थी का पुराना कब्जा साबिक आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1129 मे मात्र 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर ही है। विपक्षी संख्या 1 से 6 को आवंटित भूमि के भाग पर ही प्रार्थी का पुराना कब्जा आवंटन से पूर्व रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नही है। यदि आंवटीगण को आंवटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा रहा भी हो तो भी वैद्य नही है। सरकारी सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण के आधार पर आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कथित आंवटन दिनांक 18.06.2002 को किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवंटन के लगभग 18 वर्ष उपरान्त उक्त प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है। विलम्ब का न तो कोई समुचित कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया एवं न ही मयाद कण्ड़ोन किये जाने बाबत् धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। मयाद के बिंदु पर भी उक्त प्रा.पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वक्त आवंटन आवंटीगण भूमिहीन न हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया है। विपक्षी संख्या 1 से 6 वर्तमान मे उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना के फलस्वरूप ही प्रदान किया जाते है। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न की गई हो ऐसा कोई दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी आदि भी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त किसी भी खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना विधिसम्मत नही पाया जाता हैं। इस न्यायालय को आवंटन मे हुए मिसरिप्रजेन्टेशन को देखना है एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के परिपेक्ष्य मे प्रकरण मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन या कूट रचित दस्तावेजों से होना प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित नहीं होता हैं एवं आवंटन नियमानुसार पाया जाता है।विपक्षी संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण मे चस्पा होते हैं।

अतः प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं राजस्व ग्राम ओरवाडीया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 2568 रकबा 0.60 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2569 रकबा 0.20 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2570 रकबा 0.03 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2575 रकबा 0.45 हेक्टेयर, आराजी संख्या 2754/2571 रकबा 0.23 हेक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 1.51 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जिसका साबिक आराजी नंबर 1129 है भूमि पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा मिसल संख्या 731/2002 से किये गये कथित आवंटन को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested